उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

पी0डी0एस0 लाईसेंस कैन्सिलेशन अपीलवाद संख्या–53/2023–24

दुखनी देवी

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

04.12.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख और उसमें संधारित कागजातों का अवलोकन किया गया। यह वाद अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के आदेश ज्ञापांक–1122/आ0, दिनांक–16.05.2023 के द्वारा माँ दूर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–32/13 को रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद श्रीमति दुखनी देवी पति हेमन्त राय सा0–बुढ़ीबिनोर, थाना चन्दनकियारी, जिला बोकारो, झारखण्ड के द्वारा दायर किया गया है।

वाद का सार यह है कि निदेशक, परियोजना भूमि एवं पुनर्वास, बोकारो के द्वारा दिनांक–10.03.2023 को चास प्रखण्ड अन्तर्गत माँ दूर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, जनवितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति सं0–32/13 बुढ़ीबिनोर, चास का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि माह जनवरी'2023 का रसीद एवं हस्ताक्षर ले लेने के बाद भी लाभुकों को अनाज का वितरण नहीं किया गया है। माह फरवरी' 2023 एवं मार्च' 2023 का अनाज आपके द्वारा उठाव नहीं किया गया है। पणन पदाधिकारी, चास के द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि माह फरवरी' 2023 एवं मार्च' 2023 के उपावंटन के विरूद्ध इनके द्वारा एक भी कार्डधारियों को खाद्यान का वितरण नहीं किया गया है। उक्त आरोपों के आधार पर विक्रेता के द्वारा झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 में निहित अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन मानते हुए जनवितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति सं0–32/13 को अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के ज्ञापांक–1122/आ0, दिनांक–16.05.2023 के द्वारा रद्द कर दिया गया है।

उक्त के क्रम में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि विक्रेता पर लगाया गया आरोप निराधार, बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत है। इनके द्वारा सभी लाभुकों को समय पर अनाज का वितरण किया जाता रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि आवेदिका के पुत्रवधु गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती रहने के वजह से उन्हें भी अस्पताल में रहना पड़ा। जिसके कारण वह न तो समय पर स्पष्टीकरण का जबाब दे सकी और न ही वह लाभुकों के बीच अनाज का वितरण कर सकी। अस्पताल से आने के बाद सभी लाभुकों को अनाज का वितरण कर दिया गया। अंत में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि विक्रेता एक गरीब व्यक्ति है। इसी दुकान से उनका एवं उनके परिवार का भरण पोषण होता था। अतः उनके अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के आदेश ज्ञापांक–1122/आ0, दिनांक–16.05.2023 को खारिज कर जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्रीमति दुखनी देवी पति हेमन्त राय, माँ दूर्गा महिला स्वयं सहायता समूह, सा0–बुढ़ीबिनोर, थाना चन्दनकियारी, जिला बोकारो, झारखण्ड के अनुज्ञप्ति सं0–32/2013 को पुनः बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विक्रेता के द्वारा माह जनवरी' 2023 का रसीद एवं हस्ताक्षर लेने के बाद भी लाभुकों को अनाज का वितरण नहीं किया गया है साथ ही माह फरवरी' 2023 एवं मार्च' 2023 के उपावंटन के विरूद्ध एक भी कार्डधारियों को खाद्‌यान का वितरण नहीं किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्ध करने के पूर्व आवेदिका से स्पष्टीकरण की माँग की गई थी, जिसका भी जबाब उनके द्वारा नहीं दिया गया। यह उनकी लापरवाही एवं दुकान के सुचारू रूप से संचालन में रूची के अभाव को दर्शाता है। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिया गया दलील, बिक्रेता के विरूद्ध की गई कार्रवाई से बचने के लिए किया जा रहा है, जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। अतः इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा

सकता है। इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आवेदिका, झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 में निहित अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन के लिए दोषी नहीं है।

वर्णित परिस्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो के आदेश ज्ञापांक–1122/आ0, दिनांक–16.05.2023 द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः आवेदिका के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

4.12.2023

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

4.12.2023

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.18 16:03:26 +05:30
Location: 192.168.1.103